न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : मुकेश कुमार कलाल, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 29/2018 (राजस्व अपील) **दायर दिनांक 19.07.2018**

श्री चतुरभुज पिता अमरा गायरी, निवासी खरदेवला
तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़।

..... अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी,
तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार बडीसादडी बमिसल नं. 489/2017 निर्णय दिनांक 22.11.2017

उपस्थितः– वकील अपीलान्टः– श्री सत्यनारायण ईनाणी

विपक्षी :– पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 14.06.2019**

उपरोक्त अनवान प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का ग्राम खरदेवला तहसील बडीसादडी की आराजी नम्बर 703 चारागाह पर अनाधिकृत कब्जा मान कर बेदखली पैनाल्टी वसूली एवं फसल जप्त करने का आदेश दिया, उसके विरूद्ध यह अपील निम्न आधार बिन्दूओं पर प्रस्तुत है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार कोई कार्यवाही नही की और मन मकसूद निर्णय पारित किया। मुझे इस प्रकरण में सुनवाई हेतु कोई सूचना–पत्र नहीं मिला और न ही जवाब प्रस्तुत करने व सुनवाई करने का व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार कोई कार्यवाही नही की एवं पटवारी की मिथ्या रिपार्ट के आधार पर यह निर्णय किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजीयात को चरनोट माना और मुझे बेदखल करने का आदेश नया कब्जा मान कर दिया जो पूर्णतया मिथ्या है, जबकि वादग्रस्त भूमि पर मेरा कब्जा लगभग 50 वर्ष से चला आ रहा है और यह भूमि मेरे खातेदारी की आराजी नम्बर 375 से मिली हुई होकर आबाद है

और लगभग 3.10 बीघा (साढ़े तीन बीघा) पर कब्जा है और सन् 1995 से ही मेरे विरूद्ध अनाधिकृत कब्जे की कार्यवाही धारा 91 के अन्तर्गत की जा रही है और पैनल्टी वसूली की जा रही है। इस आराजी के साबिक नं. 671 होकर यह बिलानाम अंकित थी जो सन् 2004 में बिना किसी जांच के चरनोट अंकित कर दी गई, जबकि मेरा कब्जा पहले से चला आ रहा है और यह भूमि आबाद होकर बराबर कृषि कार्य किया जा रहा है और मैं बराबर फसल बो रहा हूॅ। इस प्रकार यह आराजी आबद होकर पुराना कब्जा होने से मेरे नियमन होने योग्य है। मैं एक गरीब भूमिहीन कृषक हूं और मैने काफी खर्चा करके व अंग मेहनत करके इस भूमि को आबाद कर कृषि योग्य बनाया है और हर दृष्टि से यह मेरे नियमन होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें और भूमि मेरे नाम नियमन करने का निर्देश फरमाया जावे।

प्रकरण को विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रालवी तलब की गयी। पैरोकार सरकार उपस्थित आये।

प्रकरण पर उभयपक्ष बहस सुनी गयी जिसमें वकील अपीलान्ट का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के पक्ष में बिना सुनवाई किये विधि विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। चुंकि पटवारी हल्का खरदेवला द्वारा प्रस्तुत अतिक्रण की रिपोर्ट पर पर्चा मौका पर किसके हस्ताक्षर है जिसका पूर्ण विवरण नही है। ग्राम खरदेवला की आराजी नम्बर 703 पर प्रार्थी का कब्जा नही है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी नम्बर 703 की आड में मेरे कब्जे की भूमि को बेदखल किया जा रहा है। तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण की कार्यवाही विधि विपरीत जाकर की है। अपीलान्ट का कब्जा आराजी नम्बर 703 पर नही होकर अन्य भूमि पर है जिसके सबूत के तौर पर धारा 91 के जारी नोटिस की प्रतियां प्रस्तुत की है, जो आवंटन योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कराने का श्रम करावें।

पैरोकार सरकार का कथन है कि विवादित आराजीयात पटवारी हल्का खरदेवला के अनुसार चरागाह भूमि है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार चरागाह भूमि आवंटन/नियमन नही हो सकती। अपीलान्ट द्वारा प्रकरण पर धारा 91 की कार्यवाही के नोटिस की प्रतियां प्रस्तुत

की वो सभी अलग–अलग आराजी भूमि की प्रस्तुत की है। इससे भी प्रश्नगत आराजी भूमि नियमन की श्रेणी में नही आती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बडीसादडी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध की गई कार्यवाही विधि अनुरूप सही है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर तहसीलदार बडीसादडी का निर्णय यथावत रखा जावें।

प्रकरण पर उभयपक्ष की बहस के तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का खरदेवला द्वारा ग्राम खरदेवला की आराजी नम्बर 703 रकबा 14.85 हैक्टर में से 0.22 हैक्टर भूमि किस्म चरागाह भूमि पर अपीलान्ट द्वारा भूमि पड़त होकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर तहसीलदार बडीसादडी द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई कर दिनांक 22.11.2017 को शास्ति राशि आरोपित करते हुए भूमि से बेदखली के आदेश पारित किये गये। प्रकरण पर अपीलान्ट द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् कार्यवाही कर नोटिस की प्रतियां प्रस्तुत की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	आराजी नम्बर	अतिक्रमीत रकबा	किस्म भूमि	नोटिस जारी होने की दिनांक
1	691 / 96	671 / 1	2 बीघा	चरागाह	11.09.1996
2	413 / 98	698 / 1	1 बीघा	चरागाह	07.10.1998
3	438 / 99	698	1 बीघा	चरागाह	04.10.1999
4	487 / 2001	781 मीन	3 बीघा	चरागाह	01.10.2001
5	221 / 2005	781 / 1 मीन	1 बीघा	चरागाह	24.08.2005
6	221 / 2005	781 / 1	1 बीघा	चरागाह	03.10.2005
7	126 / 2006	781 / 1 मीन	1 बीघा	चरागाह	29.09.2006
8	392 / 2007	781	1 बीघा	चरागाह	15.07.2007
9	153 / 2008	781 / 1 मीन	1 बीघा	चरागाह	24.09.2008
10	281 / 2009	781 / 1 मीन	1 बीघा	चरागाह	24.09.2009
11	261 / 2010	781 / 1	1 बीघा	चरागाह	05.10.2010
12	562 / 11	781 / 21 मीन	1 बीघा	चरागाह	21.10.2011
13	182 / 2012	781 / 21	1 बीघा	चरागाह	24.09.2012
14	331 / 2013	780 / 21मीन	1 बीघा	चरागाह	08.11.2013
15	475 / 2014	780 / 21मीन	1 बीघा	चरागाह	22.10.2014
16	710 / 2016	780 / 21	1 बीघा	चरागाह	02.11.2016
17	489 / 2017	703	0.22 हैक्टर	चरागाह	13.11.2017

उपरोक्त विवरणानुसार अपीलान्ट का अतिक्रमण प्रतिवर्ष अलग–अलग भूमि पर रहा है। जिससे भी यह साबित नही होता है कि वर्तमान विवादित भूमि अतिक्रमी/अपीलान्ट के पक्ष में नियमन/आवंटन की श्रेणी में आता है। अतिक्रमी द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट में अपने अपील मेमों में कथन किया कि विवादित आराजी पर मेरा कब्जा 50 वर्ष से है तथा खातेदारी आराजी नम्बर 375 से मिली होकर आबाद है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा अपने खाते की नकल, नक्शा ट्रेस इत्यादि बतौर सबूत के तौर पर प्रस्तुत नही किये है जिससे भी यह साबित नही होता है कि विवादित आराजीयात अपीलान्ट के खातेदारी आराजी से लगी होकर आबाद है। चूंकि विवादित आराजी पटवारी रिपोर्ट अनुसार मौके पर पडत है। विवादित आराजी भूमि किस्म चरागाह होने से आवंटन एवं नियमन हेतु प्रतिबंधित है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट अपना कब्जा साबित नही कर सका। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.11.2017 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

(मुकेश कुमार कलाल)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन),चित्तौड़गढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2020.03.12 13:13:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: